न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

प्र0न0 – 23/2024
अनवान : –

1. अंजलि बंसल पत्नी जितेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी भादरा त0 भादरा।
2. शारदा देवी पत्नी जनक कुमार जाति अग्रवाल निवासी भादरा त0 भादरा।
3. सत्यनारायण पुत्र चन्दगीराम जाति अहीर निवासी गुन्जार हाल भादरा त0 भादरा।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251
ए आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 ए
उपस्थिति :–श्री कृष्ण गर्ग प्रार्थी

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 बीएचडी के खाता सं0 113/2 के मु0न0 17 के किला न0 11–12 प्रत्येक किला की 0.253है0 किला न0 13/2 की 0.126है0 किला न0 16 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल 3.162है0 नहरी प्रार्थीगण की संयुक्त मुश्तर्का खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीगण के खातेदारी के दक्षिणी तरफ मु0न0 23 के किला न0 1 ता 5 के उतरी पूर्व से पश्चिम राजस्व रिकार्ड में खाला दर्ज है लेकिन मौके पर खाला बना हुआ नही होने के कारण उक्त चक के काश्तकार इस खाला वाली भूमि को ही रास्ता के लिए सदामत से उपयोग कर रहे थे लेकिन हाल ही में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भादरा बाईपास से उतरी तरफ प्रार्थीगण की खातेदारी से होते हुए चक 5 बीएचडी में ढाणी तेलियान तक पक्की सड़क का निमार्ण कार्य शुरू किया था लेकिन मौका पर चालू रास्ता भूमि कागजात में खाला के तौर पर दर्ज होने के कारण तथा प्रार्थीगण की खातेदारी के किला न0 11, 20, 21 में उतर से दक्षिण राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज न होने के कारण सार्वजनिक विभाग ने प्रार्थीगण की खातेदारी के चिपते हुए सड़क बनाने से इन्कार कर दिया इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा विभाग को एक सहमति पत्र इस आशय का तहरीर कर के दिया कि उनकी खातेदारी के मु0न 17 के किला न0 11 में पश्चिमी तरफ व किला न0 21 में दक्षिण व पश्चिम दोनों तरफ तथा किला न0 20 में दक्षिणी तरफ अपनी खातेदारी से 16–1/2 फिट का रास्ता देने में प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान में विभाग द्वारा उक्त किलाजात से सड़क का निर्माण कर दिया गया है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के मु0न0 17 के किला न0 11, 20, 21 के पश्चिमी तरफ की 2–2 ... यानि

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.03 14:36:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

प्रत्येक किला में 0.0253है0 व किला न0 22 ता 25 में प्रत्येक किला में दक्षिणी तरफ 0.0253है0 रास्ता स्वीकृत करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार भादरा से प्रस्तावित रास्ता हेतु मौका रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 5 बीएचडी के खाता सं0 113/2 के मु0न0 17 के किला न0 11–12 प्रत्येक किला की 0.253है0 किला न0 13/2 की 0.126है0 किला न0 16 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल 3.162है0 नहरी प्रार्थीगण की संयुक्त मुश्तर्का खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त विवादित भूमि में मु0न0 23 के किला न0 1 ता 5 के उतरी पूर्व से पश्चिम राजस्व रिकार्ड में खाला दर्ज है लेकिन मौके पर खाला बना हुआ नही होने के कारण उक्त चक के काश्तकार इस खाला वाली भूमि को ही रास्ता के लिए सदामत से उपयोग कर रहे थे लेकिन हाल ही में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भादरा बाईपास से उतरी तरफ प्रार्थीगण की खातेदारी से होते हुए चक 5 बीएचडी में ढाणी तेलियान तक पक्की सड़क का निमार्ण कार्य शुरू किया था लेकिन मौका पर चालू रास्ता भ्झूमि कागजात में खाला के तौर पर दर्ज होने के कारण तथा प्रार्थीगण की खातेदारी के किला न0 11, 20, 21 में उतर से दक्षिण राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज न होने के कारण सार्वजनिक विभाग ने प्रार्थीगण की खातेदारी के चिपते हुए सड़क बनाने से इन्कार कर दिया इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा विभाग को एक सहमति पत्र इस आशय का तहरीर कर के दिया कि उनकी खातेदारी के मु0न 17 के किला न0 11–21 में पश्चिमी तरफ व किला न0 21 में दक्षिण व पश्चिम दोनों तरफ तथा किला न0 21 ता 25 में दक्षिणी तरफ अपनी खातेदारी से 16–1/2 फिट का रास्ता देने के लिए प्रार्थीगण को आपत्ति नहीं है। वर्तमान में विभाग द्वारा उक्त किलाजात से सड़क का निर्माण कर दिया गया है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के मु0न0 17 के किला न0 11, 20, 21 के पश्चिमी तरफ की 2–2 बिस्वा यानि प्रत्येक किला में 0.0253है0 व किला न0 21 ता 25 में प्रत्येक किला में दक्षिणी तरफ 0.0253है0 रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व मौका रिपार्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसीलदार भादरा रिपार्ट उक्त प्रस्तावित रास्ता की आवश्यकता अत्यधिक है इसके अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी से अधिक दूरी पर है। वर्तमान में प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मुताबिक मौका रिपोर्ट अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.03 14:36:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 5 बीएचडी के मु0न0 17 के किला न0 11, 20, 21 के पश्चिमी तरफ प्रत्येक किला में 0.0253है0 व किला न0 21 ता 25 प्रत्येक किला में दक्षिणी तरफ 0.0253है0 रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार रास्ता का अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त करें।

आदेश आज दिनांक 21-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

21-08-24

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.03 14:36:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner